46

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-358-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-02-08 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी/86-87

.....

इन्द्रमणी प्रसाद पुत्र रामभरोसे
निवासी- ग्राम लेदुआ तहसील मऊगंज
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------आवेदक

विरूद्ध

1- जगदीश प्रसाद पुत्र रामभरोसे
निवासी-लेदुआ तहसील मऊगंज
जिला-रीवा (म.प्र.)

2- सुतीक्षण प्रसाद पुत्र स्व. केदारराम (मृतक) वारिसान-
१. गंगाप्रसाद
२. मंधेशप्रसाद
३. सागर प्रसाद
४. मनकामना प्रसाद, पुत्रगण स्व. सुतीक्षण प्रसाद मिश्रा
निवासीगण-हरदिया तहसील मऊगंज
जिला-रीवा (म.प्र.)

3- रामविशाल पुत्र रामधारी राम (मृतक) वारिसान-
१. रामसंजीवन
२. शशिभूषण प्रसाद, पुत्रगण स्व. रामविशाल मिश्रा
निवासीगण-हरदिया तहसील मऊगंज
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-02-08 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लेदुआ स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 119 रकबा 0.60, खसरा नं. 120 रकबा 0.25 व खसरा नं. 122 रकबा 0.33 किता 3 कुल रकबा 1.18 का नामांतरण राजस्व निरीक्षक द्वारा 01-02-76 से स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध जगदीश प्रसाद अनावेदक क्र.1 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 03-02-82 द्वारा राजस्व निरीक्षक के आदेश को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण क्रमांक 41/अ-6/1981-82 में पारित आदेश दिनांक 22-12-86 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिवत मानते हुये स्थिर रखा है तथा निगरानी निरस्त की है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी/86-87 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 20-02-2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को विधिनुकूल मानते हुये स्थिर रखा है तथा निगरानी निरस्त की है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का

निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 01 जगदीश प्रसाद ने राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 01-02-76 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष अपील पेश करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत प्रकरण का परिशीलन किया, जिसमें पाया गया कि अनावेदक क्र. 1 ग्राम लेदुआ का मूल निवासी है, किन्तु बाहर नौकरी करने के कारण वह गांव में निवास नहीं करता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त् नहीं हुआ है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक जगदीश प्रसाद को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जबकि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार था । ऐसी स्थिति में अनावेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में उभयपक्षों को पुन: सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया है। चूँकिहितबद्ध पक्षकार को सुने बिना कोई आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये प्रत्यावर्तन आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती । इसी कारण अपर कलेक्टर रीवा तथा अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को विधिनुकूल मानते हुये स्थिर रखा है। अत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,